इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011—चैत्र 11, शक 1933

सामाजिक न्याय विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2011

क्र. एफ. 1-09-2002-छब्बीस-1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधनियम, 1995 (1996 का सं. 01) की धारा 60 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये श्री दीपांकर बैनर्जी पुत्र श्री सुभाष बैनर्जी, 19 सेक्टर-1, शांति निकेतन, गोविंदपुरा, भोपाल को दिनांक 15 मई, 2010 से 3 वर्ष (तीन वर्ष) के लिये नि:शक्त व्यक्तियों के लिये आयुक्त के रूप में नियुक्त करता है.

2. श्री दीपांकर बैनर्जी, आयुक्त, नि:शक्तजन के रूप में राज्य शासन के सचिव के समकक्ष दर्जा रखेंगे तथा विभागीय समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 5 मई 2007 में उल्लेखित सेवा शर्तों में अनुक्रमांक 01 को छोड़कर शेष सभी शर्तें यथावत् रहेगी.

3. नि:शक्त व्यक्तियों के लिये आयुक्त का मुख्यालय भोपाल में होगा.

4. राज्य सरकार लोकहित में नि:शक्त व्यक्तियों के लिये आयुक्त नि:शक्तजन को किसी भी समय हटा सकेगी, परन्तु उन्हें उचित सूचना दिये बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जायेगा. नि:शक्त व्यक्तियों के लिये आयुक्त राज्य सरकार को लिखित में 15 दिन की पूर्व सूचना पश्चात् ही पद त्याग भी कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीणा तैलंग, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.